



कार्यालय:- वन प्रण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची।
वन भवन, डोरण्डा, राँची- 834002 (झारखण्ड)

E-mail : dforanchi2@gmail.com, dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651- 2482386



जहाँ है लक्ष्मी
वहाँ है सुखदाता

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, राँची।

विषय :- 400 KV/DC पतरातू से लातेहार ट्रांसमिशन लाईन में प्रभावित वनभूमि (36.9223 Ha) एवं जंगल-झाड़ी (20.438 Ha) वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में

प्रसंग:- इस कार्यालय के पत्रांक 3351 दिनांक 13.07.2019
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में के संबंध में सूचित करना है कि 400 KV/DC पतरातू से लातेहार ट्रांसमिशन लाईन में राँची वन प्रमण्डल, राँची के अन्तर्गत अपयोजित वनभूमि के संशोधित प्रस्ताव (Proposal) अग्रतर कार्रवाई हेतु अत्र-सह-संलग्न अतिरिक्त प्रतियाँ भेजी जा रही है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित प्रस्ताव में संहित आवश्यक अभिलेख निम्नवत अनुलग्नक Lever File संलग्न है:-

Sl. No.	Description	Anne-xure
1	Part II	A
2	दस वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण योजना का प्राक्कलन।	B
3	डी0सी0एफ0 का स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं Recommendation	C
4	Form 'A'	1
5	प्रस्तावित वनभूमि में अवस्थित वृक्षों की गणना सूची।	2
6	1:50000 स्केल वाले मूल टोपोशीट पर लोकेशन मैप।	3
7	Digitized Cadastral Map/Village Map and Topo Sheet of Project map of 400 KV/DC	4
8	अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी।	5
9	Kml File	In CD
10	Topo Sheet of Alternate Routes map	3
11	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित वनभूमि की वनरोपण हेतु वचनबद्धता के संबंध में प्रमाण पत्र।	6
12	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु आवश्यक राशि भुगतान के संबंध में प्रयोक्त अभिकरण का वचनबद्धता।	7
13	प्रस्ताव में सम्मिलित जंगल-झाड़/ वनभूमि के संबंध में संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	5 (A)
14	प्रस्ताव में सम्मिलित जंगल-झाड़ भूमि की विवरणी।	5
15	प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि के संबंध में वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	5 (A)
16	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित अवकृष्ट वनभूमि का KML File का CD	In CD
17	लागत लाभ विश्लेषण प्रतिवेदन।	8

19	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित अवकृष्ट वनभूमि का टोपोशीट में सीमांकन/रेखांकन।	10
20	प्रस्तावित वनभूमि में अवस्थित वृक्षों की वनक्षेत्रवार सारांश।	11
21	ट्रांसमिशन लाईन हेतु आवश्यक राशि भुगतान के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता।	12
22	अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का मौजावार सारांश।	5
23	प्रस्ताव में सम्मिलित गैर वनभूमि की विवरणी।	5
24	वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव को ऑनलाईन समर्पित करने से संबंधित Acknowledgement Slip की प्रति।	13
25	ट्रांसमिशन लाईन का Authorization Letter	14
26	प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन से 10 कि०मी० की दूरी में कोई हवाई अड्डा नहीं होने संबंधी वचनबद्धता।	15
27	परियोजना स्थल पर श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं करने के संबंध में वचनबद्धता।	16
28	परियोजना में न्यूनतम वनभूमि उपयोग से संबंधित प्रतिवेदन।	17
29	परियोजना में NPV से संबंधित वचनबद्धता।	18
30	Additional Data	19

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर से अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु० - यथोक्त।
(प्रस्ताव 7 प्रति में)

आपका विश्वासी,

ह०/-

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमंडल, राँची।

ज्ञापांक :- 1173

दिनांक :- 03-03-2020

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


वन प्रमंडल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमंडल, राँची।
03/03